कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / 149 / डी.एल.एड.सेल / 2020 भोपाल,दिनांक 06/ 03 / 2020

प्रति,

ऑचलिक / संभागीय अधिकारी (समस्त)
ऑचलिक / संभागीय कार्यालय (समस्त)
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, (म.प्र.)

विषय:—शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. / डी.पी.एस.ई. संस्थाओं की नवीन संबंद्धता / संबंद्धता नवीनीकरण सत्र 2020—21 हेतु सशुल्क आवेदन प्राप्त करने विषयक।

—— / / ——

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि डी.एल.एड. / डी.पी.एस.ई. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं की नवीन संबंद्धता / संबंद्धता नवीनीकरण संबंधी सशुल्क आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र हेतु दिनांक 10 मार्च निर्धारित है।

चूंकि दिनांक 10 मार्च 2020 को होली होने से शासकीय अवकाश घोषित है। अतः डी.एल. एड. एवं डी.पी.एस.ई. संस्थाओं की नवीन संबंद्धता / संबंद्धता नवीनीकरण संबंधी सशुल्क आवेदन दिनांक 11 मार्च 2020 तक स्वीकार किया जाना सुनिश्चित करें।

पंजीयक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,म.प्र.
भोपाल

पृष्ठा. क्रमाक / 150 / डी.एल.एड.सेल / 2020 दिनांक 06 / 03 / 2020

प्रतिलिपि:—

1. सहायक सचिव / कक्षाधिकारी, डाक आवक कक्ष, मा.शि.मण्डल. भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि डी.एल.एड. एवं डी.पी.एस.ई. संस्थाओं की नवीन संबंद्धता / संबंद्धता नवीनीकरण संबंधी सशुल्क आवेदन दिनांक 11 मार्च 2020 तक स्वीकार किया जाना सुनिश्चित करें।
2. सी..एस.ओ. मा.शि.मण्डल. भोपाल की ओर मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

पंजीयक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,म.प्र.
भोपाल

F:\Ded_cell-2020-21\letter.doc

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल
E-mail : mpbse@mp.nic.in, Website : www.mpbse.nic.in
☎ कार्या.- (0755) 2551166-71, फैक्स.- (0755) 2554398, 2552061

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्र./ 94 /डी.एल.एड./ 2019 भोपाल, दिनांक 20/12/2019

- प्रेस विज्ञप्ति -

माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल द्वारा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त डी.एल.एड. एवं डी.पी.एस.ई. (पी.पी.टी.सी.) संस्थाओं को मण्डल की संबंद्धता प्रदान कर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं आयोजित की जाती है।

उक्त डी.एल.एड. एवं डी.पी.एस.ई. (पी.पी.टी.सी.) पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान की सत्र 2020-21 हेतु नवीन संबंद्धता एवं संबंद्धता नवीनीकरण आवेदन पत्र मण्डल द्वारा जारी आदेश क्र. 586/ डी.एल.एड./2014 दिनांक 22.02.2014 के संलग्न प्रारूप अनुसार मण्डल द्वारा निर्धारित शुल्क सहित मा.शि. मण्डल परिसर में स्थित यूको बैंक, शाखा-हबीबगंज में सचिव, के नामे चालान (किसी अन्य बैंक के चालान मान्य योग्य नहीं) अथवा RTGS/ NEFT (खाता क्रमांक 02830100006001 IFSC No. UCBA0000283) के माध्यम से शुल्क जमा कर, जमा शुल्क की प्रति संस्था द्वारा दिनांक 10 मार्च 2020 तक मण्डल कार्यालय आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि संबंद्धता सत्र 2020-21 हेतु नवीन संबंद्धता एवं संबंद्धता नवीनीकरण प्रकरणों पर मण्डल द्वारा समय सीमा में कार्यवाही सम्पन्न की जा सके।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल द्वारा द्वारा जारी आदेश क्र. 586 दिनांक 22.02.2014 के संलग्न आवेदन पत्र प्रारूप मण्डल की वेबसाईट www.mpbse.nic.in पर उपलब्ध है।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र
भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्या (0755) 2551650 2761567 फैक्स – (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 586 / डी.एड.सेल / 2014 भोपाल, दिनांक 22/ 02 / 2014

/ / आदेश / /

डी.एड. पाठ्यक्रम हेतु संबंद्धता संबंधी निर्देश

डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. नियमित पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं की डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. परीक्षाओ का आयोजन माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल के द्वारा किया जाता है। परीक्षा निकाय की हैसियत से माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. संस्थाओं को सम्वद्धता जारी करता है। उक्त संबंध में रिट पिटिशन (सिविल) क्र.–276 / 12 (मॉ वैष्णव देवी महिला महाविद्यालय विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2012 में एन.सी.टी.ई., राज्य शासन एवं संबंधित परीक्षा निकायों को मान्यता एवं संबंद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश एवं तिथिवार कार्यक्रम घोषित किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्तानुसार उल्लेखनीय आदेशों को दृष्टिगत रखते हुये माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं के नवीन संवद्धता एवं संवद्धता के नवीनीकरण संबंधी प्रकरणों हेतु निम्नानुसार स्थाई निर्देश पूर्व जारी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये जारी किये जाते हैं।

1. मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल द्वारा डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. पाठ्यक्रमों के संबंध में संबद्धता प्रदान किये जाने विषयक नये निर्देश आगामी सत्र 2014–15 से लागू माने जावेंगे। मा.शि. मण्डल द्वारा जारी किये गये इन निर्देशों में समय–समय पर आवश्यकतानुसार सक्षम स्वीकृति उपरान्त संशोधन किया जा सकेगा।
2. डी.एड. पाठ्यक्रम हेतु प्रथम बार नवीन संबंद्धता प्रदान करने अथवा पूर्व से संबंद्धता प्राप्त संस्थाओं की संबंद्धता समाप्त करने के लिये अध्यक्ष, मा.शि.मण्डल सक्षम प्राधिकारी होंगे। पूर्व से संबंद्धता प्राप्त संस्थाओं की संबद्धता के नवीनीकरण के लिये मण्डल के सचिव सक्षम होंगे।
3. मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल से संबंद्धता प्राप्त करने हेतु संस्थाओं को मण्डल द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर संस्था के अध्यक्ष / सचिव के द्वारा प्रस्तुत करने पर ही मान्य किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ एन.सी.टी.ई. द्वारा एन.सी.टी.ई. एक्ट 1993 की धारा 7(11) के तहत जारी किये गये मान्यता आदेश की मूलप्रति (हार्ड कॉपी) की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जाना आवश्यक होगा। उपरोक्त के अभाव में प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया ही अमान्य किया जा सकेगा।
4. आवेदक संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र के साथ एन.सी.टी.ई. द्वारा एन.सी.टी.ई. एक्ट 1993 की धारा 7(11) के तहत जारी किये गये मान्यता आदेशों की संलग्न छायाप्रति का मिलान एन.सी.टी.ई. द्वारा मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल को अध्यक्ष / सचिव, मा.शि.मण्डल, म.प्र., भोपाल के नाम से प्रेषित पृष्ठांकित अधिकृत प्रति से किया जाने के उपरान्त तथा एन.सी.टी.ई. से तत्संबंधी पूष्टि कराने के उपरान्त ही संबंधित संस्थाओं के प्रकरणों पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

5. संस्था के द्वारा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त होने की प्रत्याशा में अथवा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल से संबद्धता जारी होने की प्रत्याशा में छात्रों को प्रवेश किसी भी स्थिति में नहीं दिया जावेगा। यदि कोई संस्था ऐसा करती है तो उसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगी और ऐसे छात्रों को मण्डल परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। तत्संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

6. एन.सी.टी.ई. द्वारा एन.सी.टी.ई. एक्ट 1993 की धारा 7(11) के तहत जारी किये जाने वाले फॉर्मल अनकंडीशनल मान्यता आदेशों के पूर्व धारा 7(9) के तहत जारी किये जाने वाले लेटर ऑफ इन्टेन्ट को मान्यता आदेश नहीं माना जावेगा तथा उक्त आधार पर संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन पत्रों को प्रथम दृष्टया अमान्य माना जावेगा।

7. प्रत्येक नवीन शैक्षणिक सत्र हेतु डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये उन्हीं संस्थाओं को मण्डल की नवीन संबद्धता जारी की जावेगी जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद् –पश्चिम क्षेत्रीय समिति (एन.सी.टी.ई.–डब्ल्यू.आर.सी.) के द्वारा संबंधित सत्र हेतु एन.सी.टी.ई. एक्ट 1993 की धारा 7(11) के तहत स्थाई मान्यता आदेश दिनांक 03 मार्च तक जारी किये जावेंगे। एन.सी.टी.ई. द्वारा प्रचलित सत्र के दौरान 03 मार्च की तिथि के उपरान्त जारी किये गये मान्यता संबंधी आदेशों को आगामी सत्र के लिये वैध माना जावेगा।

8. डी.एड. एवं डी.ई.सी.एड. पाठ्यक्रम की नवीन संबद्धता/संबद्धता नवीनीकरण प्राप्त करने हेतु संस्थाओं द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र हेतु दिनांक 10 मार्च निर्धारित होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

9. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रत्येक नवीन प्रचलित शैक्षणिक सत्र हेतु संबद्धता संबंधी आदेश जारी किये जाने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 10 मई होगी। अंतिम तिथि दिनांक 10 मई के बाद जारी किये जाने वाले संबद्धता संबंधी आदेश आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू माने जावेंगे।

10. मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल से नवीन संबद्धता प्राप्त करने हेतु संबद्धता आवेदन पत्र के साथ मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित नवीन संबद्धता शुल्क का चालान जमा करना आवश्यक होगा। संस्थाओं द्वारा उक्तानुसार जमा किये गये चालान शुल्क की राशि सत्र विशेष हेतु ही मान्य की जावेगी। संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को अमान्य किये जाने की स्थिति में संस्थाओं द्वारा जमा किये गये चालान शुल्क को मण्डल के पक्ष में राजसात कर लिया जावेगा। उक्तानुसार जमा किये गये शुल्क की राशि को आवेदन अमान्य किये जाने की स्थिति में आगामी वर्षों में समायोजित नहीं किया जावेगा। निर्धारित चालान शुल्क का प्रमाण (चालान की प्रति) आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं पाये जाने पर संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को प्रथम दृष्टया अमान्य किया जावेगा।

11. संस्थाओं को नवीन संबद्धता आवेदन पत्र के साथ एन.सी.टी.ई. के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर संस्थान में नियुक्त प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य शैक्षणिक एवं कार्यालयीन कर्मचारियों की संबंधित जिले के शासकीय स्नातकोत्तकर शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त स्टाफ सूची आवश्यक रुप से संलग्न की जाना आवश्यक होगा। उक्त के अभाव में प्राप्त नवीन संबद्धता संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

12. डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थायें एन.सी.टी.ई., मा.शि.मण्डल, आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र एवं राज्य शासन के द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्धारित नियमों/निर्देशों/शर्तों का पालन करने के लिये आबद्ध होगी। संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार जारी किन्हीं भी नियमों अथवा निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर मण्डल द्वारा संस्था की संबद्धता समाप्त की जा सकेगी।

13. प्रथम बार मण्डल से नवीन संबद्धता प्राप्त कर लेने के बाद संस्थाओं को प्रतिवर्ष निर्धारित शुल्कजमा करते हुये मण्डल से संबद्धता का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। यद्यपि संस्थाओं द्वारा आवेदन करने पर 03 वर्ष हेतु नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त मण्डल द्वारा संस्थाओं की संबद्धता को अधिकतम 03 वर्षों हेतु एन.सी.टी.ई. से मान्यता निरन्तर रहने तक नवीनीकरण प्रदान किया जा सकेगा। मण्डल से संबद्धता प्राप्त संस्थाओं को एन.सी.टी.ई. से प्राप्त मान्यता की निरन्तरता जारी रहने पर संस्थाओं द्वारा संबद्धता नवीनीकरण हेतु दिनांक 10 मार्च तक निर्धारित प्रारुप में आवेदन करना होगा। नवीनीकरण हेतु निर्धारित तिथि तक शुल्क सहित आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था की संबद्धता स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। साथ ही मण्डल द्वारा संस्था को दी गई संबद्धता निम्न परिस्थितियों में भी निर्धारित अवधि के पूर्व भी समाप्त की जा सकती है, यदि :–

131 संस्था एवं/पदाधिकारियों के विरुद्ध पाठ्यक्रम संचालन अथवा परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार का फर्जी/धोखाधड़ी का आपराधिक प्रकरण कायम हुआ हो।

13.2 संस्था ने अपात्र अथवा अधिक छात्रो को नियम विरूद्ध प्रवेश दिया हो।

13.3 संस्था ने मण्डल की परीक्षाओं के समय पर आयोजित करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की हो।

13.4 संस्था ने मण्डल से सम्बद्धता प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु कोई तथ्य छिपाया हो अथवा छलपूर्वक सम्बद्धता प्राप्त की हो ।

13.5 संस्था ने परीक्षा/सम्बद्धता के प्रयोजन से मण्डल द्वारा मांगी जाने वाली जानकारियॉ समय पर प्रस्तुत न की हो अथवा मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की हो। परन्तु किसी भी संस्था की सम्बद्वता समाप्त करने का आदेश तब तक जारी नहीं किया जावेगा जब तक कि संस्था के अध्यक्ष/सचिव को इस संबंध में सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

14. एन.सी.टी.ई.–डब्ल्यू.आर.सी. के द्वारा किसी भी समय संस्था की मान्यता समाप्त करने की दशा में मण्डल के द्वारा जारी की गई संबद्धता स्वतः समाप्त मानी जावेगी, इसके लिये पृथक से पत्र व्यवहार किया जाना आवश्यक नहीं होगा। यदि मण्डल द्वारा सत्र विशेष हेतु संबद्धता जारी करने के पश्चात् शैक्षणिक सत्र के दौरान एन.सी.टी.ई. के द्वारा संस्था की मान्यता आगामी सत्र से समाप्त कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में उस सत्र विशेष में प्रवेशित छात्रो की परीक्षा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक, मण्डल के द्वारा ली जा सकेगी। किसी भी स्थिति में एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता समाप्ति के उपरान्त संस्थाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को मण्डल की परीक्षा में शामिल नहीं कराया जावेगा।

15. प्रत्येक संस्था को शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के 30 दिवस के भीतर डी.एड./पी.पी.टी.सी. प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रो का मण्डल से नियमानुसार नामांकन एवं ग्राहयता प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि कोई संस्था प्रवेशित छात्रो का नामांकन एवं ग्राहयता नहीं करवाती है तो उन छात्रो को मण्डल द्वारा आयोजित डी.एड./पी.पी.टी.सी. परीक्षा में शामिल होने की पात्रता नहीं होगी।

16. संबद्धता प्राप्त संस्थान शैक्षणिक संस्थान को चलाने हेतु एन.सी.टी.ई./मा.शि. मण्डल/म.प्र. शासन/राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार आवश्यक अभिलेख पंजियॉ एवं अन्य रिकार्ड संधारित करेगा। मुख्य रुप से शिक्षकों का मासिक उपस्थिति पंजी, विद्यार्थियों की मासिक उपस्थिति पंजी, वेतन भुगतान की पंजी, प्रायोगिक कार्य की जानकारी विषयक पंजी, शिक्षण अभ्यास से संबंधित पंजी, स्कॉलर पंजी आदि का संधारण अनिवार्य रुप से करेगा।

17. शैक्षणिक सत्र के दौरान मण्डल से संबद्धता प्राप्त किसी भी संस्था का मा.शि.मण्डल म.प्र. भोपाल अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारियों से निरीक्षण करवाया जा सकेगा। संस्था निरीक्षणकर्ता द्वारा चाही गई समस्त जानकारी अथवा दस्तावेज निरीक्षणकर्ता को आवश्यक रुप से उपलब्ध करावेगी। निरीक्षण के दौरान पठन–पाठन प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की अनियमितता पाये जाने पर, निरीक्षणकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर मण्डल द्वारा प्रदान की गई संबद्धता तत्काल निरस्त की जा सकती है।

18. एन.सी.टी.ई. द्वारा संस्था के मान्य पते के आधार पर ही मण्डल द्वारा संबद्धता जारी की जायेगी। संस्था के पते में एन.सी.टी.ई. द्वारा विधिवत् परिवर्तन करने के आधार पर ही मण्डल द्वारा परिवर्तन किया जायेगा।

(कार्यपालिका समिति की बैठक दिनांक 12.02.2014 द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:-संबद्धता नवीन/नवीनीकरण संबंधी आवेदन पत्र का प्रारुप।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक /587/डी.एड.सेल/2014 **भोपाल, दिनांक 22/ 02/2014**
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, वी बिंग, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., पश्चिम क्षेत्रीय समिति, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. निज सचिव, अध्यक्ष मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल।
6. निज सचिव, सचिव मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल।
7. अति. सचिव/परीक्षा नियंत्रक/संयुक्त संचालक-वित्त के निजी सहायक मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल।
8. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी/सहायक सचिव सभा/समस्त सहायक सचिव /कक्षाधिकारी, मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल।
9. समस्त ऑचलिक अधिकारी/संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल।
10. समस्त शासकीय एवं अशासकीय संबद्धता प्राप्त संस्थाऍं, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. जन सम्पर्क अधिकारी, मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल की ओर प्रचार–प्रसार हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल

डी.एड एवं पी.पी.टी.सी. नवीन संबद्धता/संबद्धता नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र

नवीन संबद्धता/नवीनीकरण सत्र........................ आवेदन का दिनांक ....

यह आवेदन पत्र मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा समय–समय पर लागू संबद्धता संबंधी स्थाई नियमों एवं निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया जावे।

1. समिति का नाम, पंजीयन क्र. एवं पूर्ण पता ....

(समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची एवं पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)।

2. समिति के अध्यक्ष का नाम एवं पता ....दूरभाष क्रमांक ....
मोबाइल नं. ....एस.टी.डी. कोड ....

3. समिति द्वारा संचालित डी.एड./पी.पी.टी.सी. संस्थान का एन.सी.टी.ई. के मान्यता आदेश अनुसार पूर्ण पता (दूरभाष क्र. एवं ई–मेल आई.डी. सहित..

4. संस्था प्राचार्य का नाम/पता एवं दूरभाष क्रमांक (मोबाईल नं. सहित) ....

5. संस्था को N.C.T.E. रेग्यूलेशन की धारा 7(11) के तहत एवं N.C.T.E. एक्ट सेक्शन 14(3) (a) के द्वारा प्रदत्त मान्यता आदेश का विवरण
आदेश पत्र क्रमांक ....दिनांक ....

6. आवेदित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त संस्थान में संचालित अन्य पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी। ....

7. **एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी मापदण्डों के आधार पर संस्थान में, नियुक्त प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य शैक्षणिक एवं कार्यालयीन कर्मचारियों की संबंधित जिले के शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त स्टाफ सूची आवश्यक रुप से संलग्न की जावे।**

8. संस्था संचालन हेतु उपलब्ध भूमि/भवन की जानकारी
   (i) क्या संस्था स्वयं के भवन में संचालित है ? अथवा भवन किराये पर लिया गया है। ....
   (ii) संस्था के भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल..
   (iii) निर्मित भवन का क्षेत्रफल ....
   (iv) शैक्षणिक कक्षों की संख्या एवं प्रत्येक का निर्मित क्षेत्रफल एवं अन्त में कुल क्षेत्रफल (वर्गफुट में) ....
   कुल निर्मित क्षेत्रफल..
   (v) खुली भूमि का क्षेत्रफल (वर्गफुट में) ....

9. संस्था में उपलब्ध अन्य सुविधाओं की जानकारी --

(1) शुद्ध पेय जल की व्यवस्था ....

(2) शौचालय की पृथक-पृथक व्यवस्था पुरुष/महिला ....

(3) पुस्तकालय की व्यवस्था एवं पुस्तकों की संख्या ....

(4) प्रयोग शालाओं की संख्या एवं उपलब्ध उपकरण ....

10. संस्था द्वारा, मा.शि.मं. में जमा कराए गए सम्बद्धता शुल्क नवीनीकरण/नवीन संबद्धता शुल्क का विवरण--शैक्षणिक सत्र.................... हेतु

चालान क्र दिनांक

बैंक का नाम जमा की गई राशि

11. संस्था के संचालक मण्डल, शिक्षक तथा विद्यार्थियों के निम्नानुसार छायाचित्र (6"x4" अथवा 8"x12") संलग्न कीजिए।

(अ) संस्था के भवन के सामने से खींचा गया छायाचित्र जिसमें सम्पूर्ण भवन तथा प्रवेश द्वार स्पष्ट दिखाई दे। उक्त छायाचित्र की पृष्ठ भूमि में संस्था के संचालक मण्डल के सदस्य एवं पदाधिकारियों के नाम एवं पद भी स्पष्ट रुप से अंकित होने चाहिये।

(ब) नवीनीकरण प्रकरणों में संस्था में प्रशिक्षणरत् प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के 25–25 छात्रों का समूह छायाचित्र ताकि प्रत्येक छात्र की पहचान हो सके।

(स) संस्था में कार्यरत शिक्षकों के छायाचित्र नाम एवं पदनाम सहित (भवन के समक्ष बैठे हुए)।

घोषणा

मैं .... पिता श्री .... समिति का नाम.. के द्वारा संचालित डी.एड. संस्थान .... के अध्यक्ष/सचिव पद पर पदस्थ हूँ। मेरे द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल से वर्तमान में लागू संबद्धता संबंधी स्थाई नियम एवं निर्देशों का पूर्ण रुप से अध्ययन करने के उपरान्त उक्त आवेदन पत्र में जानकारी प्रस्तुत की गई है। मैं घोषण करता हूँ कि

1. ऊपर दी गई जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतया सत्य हैं तथा इनमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है न ही किसी बात को बढ़ाकर बताया गया है।

2. संस्था की प्राधिकृत समिति द्वारा शासन से प्राप्त विभागीय अनुमति, एन.सी.टी.ई. से प्राप्त मान्यता संबंधी आदेश एवं मण्डल द्वारा लागू संबद्धता संबंधी स्थाई नियमों एवं निर्देशों का अध्ययन कर लिया गया है तथा एतद् द्वारा इन सभी शर्तों को मान्य करता हूँ।

3. मैं यह घोषणा करता हूँ कि मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा अधिकृत अधिकारियों के संस्था में निरीक्षण हेतु उपस्थित होने पर निरीक्षणकर्ता अधिकारी को एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी समस्त मापदण्डों, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, राज्य शिक्षा केन्द्र एवं मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधी नियमों एवं निर्देशों के संदर्भ में पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुये निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा चाहे गये समस्त दस्तावेज एवं अभिलेख संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे।

4. मैं यह घोषणा करता हूँ कि संस्था द्वारा एन.सी.टी.ई., माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल, आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र एवं म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग से समय–समय पर जारी किये गये नियमों एवं निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जावेगा। अन्यथा स्थिति में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त की गई संबद्धता समाप्त करने का अधिकार होगा जिसमें मुझे या मेरी समिति को कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान ....

दिनांक ....

समिति अध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

समिति सचिव के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा